Fax : 0512-2332222 (S.O.)
011-23212648 (C.O.)

Ph. : 0512-2332222
Mob. : 09415726924

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ
Govt. Employees National Confederation

(AFFILIATED TO B.M.S.)

CENTRAL OFFICE : RAM NARESH BHAVAN, TILAK GALI, PAHAR GANJ, NEW DELHI - 110055
SUB OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR - 208 001

Ref: GENC/Cir/2021 **Date: 23.01.2021**

To,

The President/Secretary,
Affiliated Federation &
Regional Conveners

मित्रो आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और संगठन को गति प्रदान कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते कर्मचारी और मजदूर विरोधी कई एकतरफा निर्णय लिये है। जिनका विरोध कठिन समय में हम सभी ने **भारतीय मजदूर संघ** के आवाहन पर भी किया है। **भारतीय मजदूर संघ** एवम अन्य **सेंट्रल ट्रेड यूनियन** को विश्वास में लिये वगैर 4 लेवर-कोड पार्लियामेंट में पास किये गए, बिना ट्रेड यूनियन को विश्वास में लिये केंद्रीय कर्मचारियों का DA फ्रीज़ किया गया, OFB की 41 ऑर्डनेन्स फैक्ट्रियो को कारपोरेशन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया और रेलवे की उत्पादन इकाईयों का निगमीकरण करने का निर्णय किया गया। केंद्र सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य सरकारों के द्वारा भी DA फ्रीज करने के साथ अन्य भत्तों को भी फ्रीज करने और कुछ भत्तों को समाप्त भी करने जैसे एकतरफा निर्णय किये गए।

हम सभी को ज्ञात है कि केंद्र सरकार का बजट 01 फरवरी 2021 को प्रस्तुत होने जा रहा है। ऐसे भी संकेत हैं कि 01 जुलाई के बाद भी DA फ्रीज होने का निर्णय आगे भी जारी रह सकता है। ऐसी परिस्थितियों में **सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ** ने निर्णय लिया है कि **29 जनवरी और 30 जनवरी** में **एक दिन का प्रदर्शन** करते हुए सरकार से कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगो पर केंद्रीय बजट में हल करने की घोषणा की मांग की जाय।

मांगे-

1. Railway, Defence के ओधोगिक प्रतिष्ठानों के निगमीकरण के निर्णय को वापस लिया जाय। Defence के EME बेस वर्क-शाप के गोको मॉडल को बापस लिया जाय। किसी भी प्रतिष्ठान को बंद न किया जाय। Permanent Nature के कार्यों को स्थायी कर्मचारियों से ही कराया जाय।
2. ग्रुप-B, ग्रुप-C के रिक्त स्थानों को अविलम्ब भरा जाय।

3. NPS को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था अर्थात CCS Pension Rule 1972 को लागू रखा जाय।
4. सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को निस्तारण शीघ्र किया जाय।
5. महंगाई भत्ते की तीन बकाया किश्तों को 01 जनवरी 2021 से भुगतान किए जाने की घोषणा की जाय। 01 जनवरी 2020, 01 जुलाई 2020 तथा 01 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता/राहत के भुगतान की घोषणा की जाय।
6. कोविड-19 के प्रकोप से जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को Compensation प्रदान किया जाय।
7. मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को शत प्रतिशत नौकरी प्रदान की जाय।
8. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Similar Placed कर्मचारियों पर भी लागू किया जाय।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 30 जून एवम 31 दिसम्बर को सेवा निवृत होने बाले कर्मचारियों को एक Notional Increment देते हुए सेवा निवृत लाभ प्रदान करने की घोषणा की जाय।
10. केंद्रीय कर्मचारियों एवम राज्य कर्मचारियों को समूह बीमा योजना की न्यूनतम राशि सातवे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार रु 15 लाख की जाय।
11. पदोन्नति एवम MACP के लिये बेंच मार्क Very Good के स्थान पर Good रखा जाय। जैसा कि जनवरी 2016 के पूर्व लागू था।
12. रात्रि डयूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को Night Duty Allowance बिना किसी ceiling Limit के प्रदान किया जाय।
13. सरकारी कर्मचारियों की यूनियन की मान्यता नियमों में परिवर्तन करते हुए सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने वाली यूनियन को स्थायी कर्मचारी के साथ-साथ ठेका श्रमिकों की समस्याओं को भी उठाने का अधिकार प्रदान किया जाय।

सभी महासंघ अपने अधीनस्थ यूनियन को Circular जारी करने का कष्ट करें। जहां शनिवार अवकाश होता है वहां 29 जनवरी 2021 को कार्यक्रम सम्पन्न करें और अन्य स्थानों पर 30 जनवरी 2021 को कार्यक्रम आयोजित करने का कष्ट करें।

Thanking You.

Sincerely Yours

(Sadhu Singh)
Secretary General

प्रतिलिपिः
1. माननीय महामन्त्री, भारतीय मजदूर संघ, नईदिल्ली
2. श्री एम पी सिंह, उधोग प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ
3. श्री सुखविन्दरसिंह डिक्की, सह-उधोग प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ
4. श्री अशोक कुमार शुक्ला, सह-उधोग प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ
5. श्री ए चेन्ना केशव राव, सह-उधोग प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ